न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
019/2021 (रसद) (GCMS 2021/396)	01.10.2021	27.10.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये पिंकी स्वर्णकार, प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल जैन, अरिहन्त ट्रेडर्स, चामटी खेडा चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. श्रीमती शांता देवी जैन, उचित मूल्य दुकानदार अभयपुर।
3. उदयलाल पिता शंकरलाल वैष्णव, निवासी पचुण्डल तहसील चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी बीएल वैष्णव

पैरोकार सरकार
अधिवक्ता विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.08.2021 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चामटी खेडा चौराहा पर स्थित अरिहन्त ट्रेडर्स के वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन का गेंहूँ खाली हो रहा है। जिस पर आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार हमराज हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी के साथ चामटी खेडा चौराहा पर स्थित अरिहन्त ट्रेडर्स के वहां पहुँचें। मौके पर उपस्थित जीत **RJ13 C 6235** चालक उदयलाल वैष्णव द्वारा बताया गया कि उक्त 15 कट्टे गेंहूँ के मैने शांता देवी जैन, उचित मूल्य दुकानदार अभयपुर से भरकर अरिहन्त ट्रेडर्स के यहां पर लाकर खाली किये। इस एवज में मुझे शांतादेवी जैन से 15/– रूपये कट्टा किराया दिया गया। उक्त कट्टों पर **FCI** का मार्का लगा हुआ था। मौके पर अरिहन्त ट्रेडर्स पर उपस्थित कार्यकर्ता फर्म मालिक के पुत्र से पूछताछ की। उसने बताया कि उक्त गेंहूँ मेरे द्वारा श्रीमती शांतादेवी जैन से तय सौदे के अनुसार (1700 रूपये प्रति क्विंटल) खरीदे गये हैं। उक्त सभी कट्टे **FCI** मार्कायुक्त थें। श्रीमती शांतादेवी जैन, उचित मूल्य दुकानदार अभयपुर चित्तौड़गढ़ द्वारा अभयपुर में 1/2 हिस्से में नियंत्रित

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

Web Copy - Not Official

वस्तुओं के वितरण हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया हुआ है। उसके द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहूँ का बेचान में संलिप्त पाया जाना होने से मौके पर बेचान हेतु लाये गये 15 कट्टे जिसका वनज 760 किग्रा. को आवेदक द्वारा अभिग्रहित किया गया। आवेदक पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा अरिहन्त ट्रेडर्स चित्तौड़गढ़ के कब्जे से जो कि श्रीमती शांतादेवी जैन उचित मूल्य दुकानदार बेचने के लिये लाया गया था को अभिग्रहित कर मौके पर निकटस्थ उचित मूल्य दुकानदार निसार खान की सुपुर्दगी में दिया गया तथा मौतबिरान के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये। जब्तशुदा गेंहूँ के 15 कट्टों की तलपट्टी विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार है। तत्पश्चात् श्रीमती शांतादेवी जैन, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 24413 अभयपुर की जाँच पर गेंहूँ का स्टॉक कुल मात्रा 958 किग्रा. होना पाया। मौके पर ही फर्द तलपट्टी तैयार कर दुकान में अवशेष गेंहूँ का इलेक्ट्रोनिक कांटे से वजन किया गया। वजन करने गेंहूँ की मात्रा 1013 किग्रा. पायी गई। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान पर 55 किग्रा. गेहूँ अधिक होना पाया गया। आधिक्य मात्रा 55 किग्रा. गेंहूँ को जरिये फर्द अभिग्रहण तैयार कर कब्जे में लेकर मौके पर ही सुपुर्दगीनामा तैयार कर उचित मूल्य दुकानदार शैतानसिंह, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 11298 अभयपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रकरण में अभिग्रहित 815 किग्रा. गेंहूँ को राजसात कराने की कृपा करावें।

इस पर आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 27.10.2021 को विपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में गिरधारी लाल पिता पृथ्वीराज जाति गुर्जर निवासी अभयपुर का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हाजिर अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

इस पर हाजिर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि

दिनांक 18.08.2021 को जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि चामटी खेडा चौराहा पर स्थित अरिहन्त ट्रेडर्स के वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का राशन का गेंहूँ खाली हो रहा है। जिस पर आवेदक प्रवर्तन निरीक्षक पिंकी स्वर्णकार हमराज हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी के साथ चामटी खेडा चौराहा पर स्थित अरिहन्त ट्रेडर्स के वहां पहुँचें। मौके पर उपस्थित जीत **RJ13 C 6235** चालक उदयलाल वैष्णव द्वारा बताया गया कि उक्त 15 कट्टे गेंहूँ के

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैने शांता देवी जैन, उचित मूल्य दुकानदार अभयपुर से भरकर अरिहन्त ट्रेडर्स के यहां पर लाकर खाली किये। इस एवज में मुझे शांतादेवी जैन से 15/- रूपये कट्टा किराया दिया गया। उक्त कट्टों पर FCI का मार्का लगा हुआ था। मौके पर अरिहन्त ट्रेडर्स पर उपस्थित कार्यकर्ता फर्म मालिक के पुत्र से पूछताछ की। उसने बताया कि उक्त गेंहूँ मेरे द्वारा श्रीमती शांतादेवी जैन से तय सौदे के अनुसार (1700 रूपये प्रति क्विंटल) खरीदे गये है। उक्त सभी कट्टे FCI मार्कायुक्त थें। श्रीमती शांतादेवी जैन, उचित मूल्य दुकानदार अभयपुर चित्तौड़गढ़ द्वारा अभयपुर में 1/2 हिस्से में नियंत्रित वस्तुओं के वितरण हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया हुआ है। उसके द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहूँ का बेचान में संलिप्त पाया जाना होने से मौके पर बेचान हेतु लाये गये 15 कट्टे जिसका वनज 760 किग्रा. को आवेदक द्वारा अभिग्रहित किया गया। आवेदक पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक चित्तौड़गढ़ द्वारा अरिहन्त ट्रेडर्स चित्तौड़गढ़ के कब्जे से जो कि श्रीमती शांतादेवी जैन उचित मूल्य दुकानदार बेचने के लिये लाया गया था को अभिग्रहित कर मौके पर निकटस्थ उचित मूल्य दुकानदार निसार खान की सुपुर्दगी में दिया गया तथा मौतबिरान के समक्ष हस्ताक्षर करवाये गये। जब्तशुदा गेंहूँ के 15 कट्टों की तलापट्टी विवरण प्रार्थना पत्र अनुसार है। इसके जवाब में अधिवक्ता विपक्षीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि उक्त गेंहूँ कृषक गिरधारी लाल पिता पृथ्वीराज गुर्जर निवासी अभयपुर द्वारा 1700/- रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय किये गये तथा काश्तकार द्वारा FCI मार्क के खाली कट्टे शांताबाई जैन निवासी अभयपुर से 20/- रूपये प्रति कट्टे से खरीदकर गिरधारी लाल की स्वयं की उपजशुदा गेंहूँ जो गतवर्ष के थे उन्हे अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय किया गया तथा कृषक द्वारा उदयलाल की जीप किराये पर लेकर अप्रार्थी संख्या 1 के यहॉ गेंहूँ भेजे गये थे जिसका नगद भुगतान किराया एवं हेमाली काटकर 12555/- रूपये नकद भुगतान गिरधारीलाल को दिनांक 13.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में ही कर दिया गया था तथा उक्त गेंहूँ अप्रार्थी संख्या 1 के है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीद किये गये है व किसी भी सरकार वितरण प्रणाली या FCI के नहीं है तथा काश्तकारों से माल अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खरीदा जाता है तथा शांता देवी के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 का पुश्तैनी बना हुआ मकान है जिसमें मेरे द्वारा खरीदशुदा अनाज व अन्य कृषि जिंस पडा रहता है। इसलिये जब्तशुदा माल अप्रार्थी संख्या 1 को सिपुर्द कराया जावें। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने बताया कि उक्त गेंहूँ उचित मूल्य की दुकान पोस कोड नंबर 24413 अभयपुर के नहीं है केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 2 से काश्तकार गिरधारीलाल द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेंहूँ के कट्टे खाली होने के उपरांत प्रति बारदान 20 रूपये में बेचे गये थे और गिरधारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

लाल ने उक्त कट्टे में अपनी कृषि उपज को भरकर अरिहन्त ट्रेडर्स के यहां बेचान किया जिसकों जीप चालक उदयलाल केवल मात्र भाडा लेकर भेजा है जबकि उक्त गेंहूँ से अप्रार्थी संख्या 2 का कोई लेना देना नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 2 बिना किसी कारण से दण्डित किया जाकर राश्न अन्य पास वाले राशन डीलर को वितरित किया जा रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के यहां प्रतिमाह पोस मशीन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गेंहूँ का वितरण किया जाता है तथा स्टॉक में भी कमी नहीं थी फिर भी अप्राथी संख्या 2 को दण्डित किया गया है जो अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को निरस्त फरमाई जावें तथा अरिहन्त ट्रेडर्स मालिक देवीलाल को गेंहूँ सिपुर्द किया जावें तो अप्रार्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त गेंहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नहीं है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के यहां 55 किलो गेंहूँ पडे हुए थे जो उपभोक्ता रूपीबाई पत्नि रतना भील निवासी अभयपुर के 50 किलो गेंहूँ थे जो अचानक बीमार हो गई तथा 70 साल की उम्र होने से छोडकर चली गई व बाद में आकर ले जाने को कहा तथा साथ ही दिवाली की वजह से दुकान की सफाई की जिसका इकट्ठा किया गया गेंहूँ पडे हुए थें इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 के यहां पडे रह गये थे बल्कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार का कोई गपला नहीं किया गया है। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने बताया कि उक्त गेहूँ विपक्षी संख्या 3 कृषक गिरधारी लाल गुर्जर के यहां से भरकर देवीलाल जैन के यहां 15 रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से दुकान पर छोडे थे तथा उक्त गेंहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नहीं है व ना ही विपक्षी संख्या 3 राशन डीलर शांतादेवी की राशन की दुकान से भरकार नहीं लाया है तथा जांच अधिकारी को भी यही बताया गया था। इसके साथ ही कृषक गिरधारी लाल पिता पृथ्वीराज जाति गुर्जर निवासी अभयपुर का इसी आशय का शपथ पत्र पेश किया गया। अंत में प्रार्थना की गई कि अप्रार्थीगण का जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर 15 कट्टों में जब्तशुदा 760 किलोग्राम माल अप्रार्थी संख्या 1 को सिपुर्द किया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस पत्रावली सामप्त की। इस पर बहरा के रिवटल में पैरोकार सरकार ने बताया कि श्रीमती शांतादेवी जैन, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 24413 अभयपुर की जाँच पर गेंहूँ का स्टॉक कुल मात्रा 958 किग्रा. होना पाया। मौके पर ही फर्द तलपट्टी तैयार कर दुकान में अवशेष गेंहूँ का इलेक्ट्रोनिक कांटे से वजन किया गया। वजन करने गेंहूँ की मात्रा 1013 किग्रा. पायी गई। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान पर 55 किग्रा. गेहूँ अधिक होना पाया गया। आधिक्य मात्रा 55 किग्रा. गेंहूँ को जरिये फर्द अभिग्रहण तैयार कर कब्जे में लेकर मौके पर ही सुपुर्दगीनामा तैयार कर उचित मूल्य दुकानदार शैतानसिंह, उचित मूल्य दुकानदार पोस कोड 11298 अभयपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गेंहू मय बारदान राजसात (Confiscate) किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हमने फर्द मौका का अवलोकन किया। मौके के गवाहान के बयानों का अवलोकन किया। विपक्षी से जब्तशुदा गेंहू FCI मार्का का होना एवं उचित मूल्य दुकानदार के कार्मिक द्वारा बेचान हेतु ले जाना एवं मौके पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण 15 कट्टों 760 किग्रा. गेंहू कब्जे में लिया गया। FCI मार्का के गेहूं से भरे हुए पाए गए जो इस तथ्य को बल देते हैं कि विपक्षी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण की जाने वाली सामग्री का अनुचित लाभ प्राप्त करने तथा कालाबाजारी करने के लिए अवैध रूप से विक्रय करना प्रमाणित पाया जाता है। इस हेतु विपक्षी पूर्णतः जिम्मेदार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा गेहूं 815 किलोग्राम मय बारदाना को राजसात (Confiscate) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 18.08.2021 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी संख्या 1 देवीलाल जैन, अरिहन्त ट्रेडर्स, चामटी खेडा चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ से जब्त शुदा 15 कट्टों 760 किलोग्राम गेंहू मय बारदाना एवं अप्रार्थी संख्या 2 से जब्तशुदा 55 किलोग्राम गेंहू को राजसात(Confiscate) करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गेंहू मय बारदाना के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official